

अनुलग्नक १
विद्यार्थी द्वारा स्वीकृती पत्र

- १) मैं, श्री/श्रीमती का पुत्र /पुत्री को में प्रवेश प्राप्त होनेपर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी की गई उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में रेगिंग संबंधित अधिनियम २००९ (आगे अधिनियम) की प्रति प्राप्त हुई और मैंने ध्यान पूर्वक पढ़ी और विहीत व्यवधानों को पूर्णतः समझा ।
- २) विशेषतः मैं अधिनियम के उपवाक्य ३ से अवगत हूँ जिसमें रेगिंग क्या है, इसकी व्याख्या है ।
- ३) विशेषतः मैं अधिनियम के उपवाक्य ७ एवं ९.१ में विहीत कानूनी दंड और प्रशासकीय कार्यवाही के प्राविधान से अवगत हूँ जिसके अंतर्गत रेगिंग या रेगिंग में सहयोग, सक्रिय या असक्रिय रूप में, या रेगिंग को प्रोत्साहित करने की साजिश के तहत मुझपर दोषी पाए जाने पर कार्यवाही की जा सकती है ।
- ४) अतः मैं प्रतिज्ञापत्र करता हूँ कि
- अ) मैं ऐसे किसी कार्य में सम्मिलित नहीं रहूँगा जिसे अधिनियम के उपवाक्य ३ तहत रेगिंग माना जाए ।
- ब) मैं जाने या अनजाने किसी ऐसे कार्य में हिस्सा नहीं लूँगा जिसकी संरचना कथित अधिनियम और उपवाक्य ३ के अनुसार रेगिंग के अनुरूप हो या रेगिंग को बढ़ावा देती हो या रेगिंग में सहयोग देती हो ।
- ५) मैं यह स्वीकार करता हूँ कि अगर मैं रेगिंग का दोषी पाया गया तो मैं अधिनियम के उपवाक्य ९.१ अनुसार दंड का भागीदार बनूँगा और इसके उप्रांत मेरे ऊपर अन्य अपराधिक कार्यवाइयाँ कानून के तहत भी की जा सकती हैं।

६) मैं यह घोषित करता हूँ कि रेगिंग या रेगिंग में सहयोग या वढ़ावा के संदर्भ में दोषी पाए जाने के कारण मैं किसी संस्था में प्रवेश से वर्जित नहीं किया गया हूँ और न ही निष्काषित किया गया हूँ और यह स्वीकार करता हूँ अगर यह स्वीकृती गलत पाई गई तो मैं इस बात से अवगत हूँ कि मेरा दाखिला रद्द किया जा सकता है।

तारीख :

.

हस्ताक्षर

नाम :

पता :

टूरध्वनी :

स्वीकृती

मैं स्वीकार करता हूँ कि इस घोषणा पत्र में दी गई जानकारी मेरे ज्ञान अनुसार सही है और कुछ भी छुपाया नहीं गया है और न ही गलत ढंग से व्यक्त किया गया है।

स्थान :

.

तिथी :

हस्ताक्षर

घोषणा पत्र में सन्निहित जानकारी पढ़ने के उपरांत मेरे समक्ष

(तिथी) को शपथ ग्रहण किया गया एवं हस्ताक्षर किया गया।

.

शपथ कमिश्नर

अनुलग्नक २
विद्यार्थी के पालक / गार्डियन द्वारा स्वीकृति पत्र

- १) मैं, श्री/श्रीमती जो कि
का/की पिता/माता/गार्डियन हूँ, जिसका प्रवेश क्रमांक है
..... में प्रवेश के पश्चात् विश्वविद्यालय
अनुदान आयोग द्वारा जारी की गई उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में रेगिंग संबंधित अधिनियम
२००९ (आगे अधिनियम) की प्रति प्राप्त हुई और मैंने ध्यान पूर्वक पढ़ी और विहीत
व्यवधानों को पूर्णतः समझा।
- २) विशेषतः मैं अधिनियम के उपवाक्य ३ से अवगत हूँ जिसमें रेगिंग क्या है, इसकी
व्याख्या है।
- ३) विशेषतः मैं अधिनियम के उपवाक्य ७ एवं ९.१ में विहित कानूनी दंड और
प्रशासकीय कार्यवाही के प्राविधान से अवगत हूँ जिसके अंतर्गत रेगिंग या रेगिंग में
सहयोग, सक्रिय या असक्रिय रूप में, या रेगिंग को प्रोत्साहित करने की साजिश के तहत
मेरे पुत्र/पुत्री पर कार्यवाही की जा सकती है।
- ४) अतः मैं प्रतिज्ञापत्र करता हूँ कि
- अ) मेरा पुत्र/पुत्री ऐसे किसी कार्य में सम्मिलित नहीं रहेगा/रहेगी जिसे अधिनियम
के उपवाक्य ३ तहत रेगिंग माना जाए।
- ब) मेरा पुत्र/पुत्री जाने या अनजाने किसी ऐसे कार्य में हिस्सा नहीं लेगा/लेगी
जिसकी संरचना कथित अधिनियम और उपवाक्य ३ के अनुसार रेगिंग के
अनुरूप हो या रेगिंग को बढ़ावा देती हो या रेगिंग में सहयोग देती हो।

५) मैं यह स्वीकार करता हूँ कि अगर मेरा पुत्र/पुत्री रेगिंग का दोषी पाया गया तो मेरा पुत्र/पुत्री अधिनियम के उपवाक्य ९.१ तहत दंड का भागीदार बनेगा और इसके उपरांत उसपर अन्य अपराधिक कार्यवाइयों कानून के तहत भी की जा सकती हैं।

६) मैं यह घोषित करता हूँ कि रेगिंग या रेगिंग में सहयोग या वढ़ावा के संदर्भ दोषी पाए जाने के कारण मेरा पुत्र/पुत्री किसी संस्था में प्रवेश से वर्जित नहीं किया गया है और न ही निष्काषित किया गया है और यह स्वीकार करता हूँ कि अगर यह स्वीकृती गलत पाई गई तो मैं इस बात से अवगत हूँ कि मेरे पुत्र/पुत्री का दाखिला रद्द किया जा सकता है।

तारीख :

.....

हस्ताक्षर

नाम :

पता :

दूरध्वनी :

स्वीकृती

मैं स्वीकार करता हूँ कि इस घोषणा पत्र में दी गई जानकारी मेरे ज्ञान अनुसार सही है और कुछ भी छुपाया नहीं गया है और न ही गलत ढंग से व्यक्त किया गया है।

स्थान :

.....

तिथी :

हस्ताक्षर

घोषणा पत्र में सन्निहित जानकारी पढ़ने के उपरांत मेरे समक्ष

(तिथी) को शपथ ग्रहण किया गया एवं हस्ताक्षर किया गया।

.....

शपथ कमिशनर